

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2020—आश्विन 10, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04 सितम्बर 2020

क्र. ई-5-898—आयएएस—लीव-5—एक.— (1) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश
को दिनांक 16 जून से 01 जुलाई 2020 तक, सोलह दिन का
अर्जित अवकाश कार्यात्मक स्वीकृति किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर
जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते जो अपने पद पर कार्य करते
रहते।

भोपाल, दिनांक 05 सितम्बर 2020

क्र. ई-1-266-2020-5—एक.— श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अपर कलेक्टर, जिला गुना को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापन रूप से अपर मिशन
संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पदस्थ किया
जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड द्वारा
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का कार्यभार
ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली,
2016 के नियमों के अंतर्गत अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा
केन्द्र, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में
ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2020

क्र.-971-114-2019-एक-10.— राज्य शासन, एतदद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, कूल पांच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाठने, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2020

फा. क्र. 2690-2020-इककीस-ब(एक).— राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतदद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
01	श्री विवेक कुमार गुप्ता, सचिव, जिला विधिकी हैसियत से श्री जी.पी. अग्रवाल के स्थान पर।	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन सेवा प्राधिकरण, मुरैना।
02	श्री संजय कुमार द्विवेदी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020

क्र. एफ-7-5-2016-अड्सठ.— राज्य शासन, एतदद्वारा, श्री माखनसिंह चौहान, 227, व्ही. पी. हाऊस, रफी मार्ग,

नई दिल्ली को मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीता राठौर, उपसचिव।

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.— जेल प्रिजन्स एकट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा पुरानी जेल परिसर एवं बैल, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 21 सितम्बर 2020 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2020

क्र. एफ-02-04-2010-एसएण्डटी-इकतालीस-1.— राज्य शासन, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के पद पर माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल को मनोनित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. 5433-एस.टी-2020.— इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है। शेष कार्यविभाजन पूर्वानुसार रहेगा :—

01. श्री मूलचंद वर्मा अति. कलेक्टर एवं अति.जिला दण्डाधिकारी, सिवनी –

(क) राजस्व :–

1. म.प्र. भू-रा.सं. 1959 के अंतर्गत अनुविभागों के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण (प्रत्येक 1 से 9 प्रकरण).
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण.
3. कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण.
4. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अंतर्गत प्रकरण.
6. म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सभी प्रकरण.
7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण.
8. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (राशि एक करोड़ से कम).

(ख) दांडिक :–

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सिवनी .
2. संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे.

(ग) विविध :–

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन.
2. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह अधिकारी.
3. विभागीय जांच अधिकारी.
4. प्रभारी अधिकारी-लायसेंस शाखा-(गन लायसेंस का नवीनीकरण)
5. प्रभारी अधिकारी-सांखिकी शाखा, जिला जेल/उपजेल, होमगार्ड एवं नागरिक कल्याण.

6. प्रभारी अधिकारी-भू-अर्जन, अल्प बचत रेल्वे से संबंधित कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य
7. प्रभारी अधिकारी-कोविड-19 से संबंधित कार्य.
8. प्रभारी अधिकारी-समाधान आन लाइन
9. प्रभारी अधिकारी-भारतीय रेडक्रास सोसायटी सिवनी
10. प्रभारी अधिकारी-लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग एवं अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.
11. प्रभारी अधिकारी-जनसुनवाई/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन / शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ.
12. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश, क्रमोन्नति पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए कलेक्टर की शक्तियां.
13. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/आंशिक विकर्षण, यात्रा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक की स्वीकृति के लिए कलेक्टर की शक्तियां.
14. विभिन्न विभागों में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही के लिए कलेक्टर को शक्तियां.
15. रु. 50,000/- पचास हजार रुपये तक की स्वीकृति से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार (विद्युत, फोन, मोबाइल, पी.ओ.एल. अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक)
16. सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को समस्त प्रकार के अग्रिम स्वीकृति के लिए कलेक्टर की शक्तियां.
17. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को म.प्र. शासकीय सेवक परिवार निधि योजना 1974 अंतर्गत स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिए कलेक्टर की शक्तियां.
18. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को म.प्र. राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003 अंतर्गत स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिए कलेक्टर की शक्तियां.
19. गरीबी रेखा सर्व सूची में नाम दर्ज कराने/काटने, जाति प्रमाण पत्र तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न होने अथवा निरस्त किये जाने की स्थिति में प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण.

20. मृत शासकीय सेवकों को लंबित राशि के आहरण हेतु वारसान प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर की शक्तियाँ।
 21. नाबालिक की भूमि रहन रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर की शक्तियाँ।
 22. भारतीय नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही हेतु कलेक्टर की शक्तियाँ।
 23. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
02. श्री मूलचंद वर्मा अति. कलेक्टर एवं अति.जिला दण्डाधिकारी, लखनादौन –

(क) राजस्व :-

1. म.प्र. भू—रासं. 1959 के अंतर्गत अनुविभागों के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण (प्रत्येक 1 से 9 प्रकरण). (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
2. मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण. (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
3. कोर्ट फीस स्टाम्प चर्चा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण. (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
4. मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्रकरण (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
5. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अंतर्गत प्रकरण. (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
6. म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत सभी प्रकरण. (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
7. मध्यप्रदेश भू—राजस्व 1959 की धारा 240 241 के प्रकरण. (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
8. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम—2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (राशि एक करोड़ से कम) (तहसील—लखनादौन, छपरा, घंसौर एवं धनौरा)
9. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

03. श्री एच. घोरमारे, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी –
 1. प्रभारी अधिकारी – वित्त शाखा के रूप में रु. 25,000/- पच्चीस हजार रुपये तक की स्वीकृति से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार (विद्युत फोन, बोबाइल, पी.ओ. एल.अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक)
 2. प्रभारी अधिकारी—राजस्व मोहर्रि (कलेक्टर कोर्ट)
 3. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
- यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

**कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
मध्यप्रदेश**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्र. एफ—1—9—19—रा.स.—यू.ए.1—1001.— राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 3 सन् 2009) की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा डॉ. साहित्य कुमार नाहर, प्रोफेसर, म्यूजिक एवं परफार्मिंग आर्ट विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम—1 के अनुसार शासित होंगी।

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

**Ministry of Finance (Department of Revenue)
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX-1,
“Aayakar Bhawan”, 48 Areara Hills, Hoshangabad Road, Bhopal – 462011**

F.No. PCIT-1/BPL/Tech/(Jurisdiction)/2020-21/192-203

Dated 09th SEPTEMBER 2020

ORDER UNDER SECTION 120 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in accordance with Notification Number S.O. No. 2752(E) dated 22nd October, 2014 of Government of India, Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(ii) [Notification No. 50/2014/F/No. 187/38/2017(ITA.I)], Notification No. 64/2014 F.No. 187/40/2014 (ITA.I) dated 13.11.2014; subsequent order No. 31, 32 and 33 of the Principal Chief Commissioner of Income-tax (CCA), Bhopal dated 15.11.2014 vide F.No. Pr.CCIT/MP/Estt./C&A/2014-15 dated 15.11.2014 allocating Ranges including Special Ranges under the jurisdiction of Pr.CIT/CIT, I, the Principal Commissioner of Income-tax -1, Bhopal, having been authorized so, vide notification no. 62 S.O. 2755(E) dated 13th August, 2020 of ITA-I, corrigendum (Notification no 68/2020 F.No 187/3/2020) dated 27.08.2020 and Office-Order vide F.No. Pr. CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1782 dated 28.08.2020, Office-Order vide F.No. Pr. CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1863 dated 01.09.2020, Office-Order vide F.No. Pr. CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1864 dated 02.09.2020, Office-Order No 1 vide F.No. Pr. CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1870 dated 04.09.2020, Office-Order-3 vide F.No. Pr. CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1954 dated 08.09.2020, Office-Order-4 vide F.No. Pr. CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1955 dated 08.09.2020 make the following amendments in the notification of Commissioner of Income Tax, Bhopal-1 published by letter F.No. CIT-1/BPL/Tech/(Jurisdiction)/2014-15/982 dated 15th November 2014, namely : -

- (i) For the Schedule-1 appearing in the notification of Commissioner of Income Tax, Bhopal-1 published by letter F.No. CIT-1/BPL/Tech/(Jurisdiction)/2014-15/982 dated 15th November 2014, the following schedule-1 shall be substituted -

SCHEDULE-1

S.No	Designation of Income Tax Authorities	Headquarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Addl./Joint Commissioner of Income tax,	Bhopal, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh (a) District of	(a) persons being individuals	(a) All cases of persons referred to in

			Bhopal	<p>deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4)</p> <p>(b) Persons being companies registered under the companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4)</p> <p>(c) Person being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>corresponding entry in item (i) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of state Government or whose salary is drawn from Government of Madhya Pradesh including employees working in Governor's Secretariat.</p> <p>(b) All cases of companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G'</p> <p>(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (b), of column (6) above.</p>
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation Bhopal-Ward Numbers 22 to 33	(d) Persons other than companies deriving income from source other than business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (5)	(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary

			8644	column (4). (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	
		(c) Mandideep Industrial area of Raisen District		(f) Persons being companies registered under the companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in item (c) of column (4) (g) persons being individuals referred to in item (f) of column (6)	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (l) of Column (5) whose names begin with the alphabet 'A' to 'M' (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column(6) above.
		(d) Districts of Hoshangabad, Harda and betul		(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item (d) of	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) (c), of column (5). (b)All cases of individuals being director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column

				column (4). (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in item (d) of column (4). (c) Person being companies registered under the companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or Principal office of business in the areas mentioned in item (d) of column (4), (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6)	(5).
2	Addl./Joint Commissioner of Income tax, Range-3, Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4) (b) Persons being companies registered under the companies	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item(a) of Column (5) whose principal source of income is from 'Salary' and who are (i) Employees or pensioners of Central Government and Banks; (b) All cases of companies mentioned in corresponding entry in item (b) of column (5) whose names

			<p>Act, 2013 or under the companies Act 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4)</p> <p>(c) Person being individuals referred to in item (c) of column (6)</p>	<p>begin with the alphabet 'N' to 'R' or 'T' or 'U'.</p> <p>(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (b) of column (6)</p>
			<p>(b) District of Bhopal</p> <p>(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation Bhopal – Ward Nos 01 to 21.</p> <p>(ii) Berasia Tehsil</p> <p>(c) District of Sehore and Vidisha</p>	<p>(d) Persons other than companies deriving income from source other than business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).</p> <p>(e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).</p> <p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than business or</p> <p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary</p> <p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item(f) and (g) of Column (5) :</p>

				<p>profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).</p> <p>(g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).</p>	
			<p>(d) District of Sehore and Vidisha</p>	<p>(h) Person being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4).</p> <p>(i) Persons being individuals referred to in item (g) of column (6)</p>	<p>(f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column 5.</p> <p>(g) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5)</p>

3	Addl./Joint Commissioner of Income tax, Range-4, Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business and profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4)	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of Column (5) whose principal source of income is from 'Salary' and who are employees or pensioners of FAMEL Public Sector Undertakings (excluding Banks) and in insurance companies; (b) Persons being companies registered under the companies Act, 2013 or under the companies Act 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (c) Person being individuals referred to in item (c) of column (6)	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of Column (5) whose names begin with the alphabet 'H to M' or 'S' or 'V to Z' (c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (b) of column (6)
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation Bhopal – Ward Nos 34 to 70, except ward no. 44. (ii) Kolar Municipality Bhopal (c) District of Bhopal-Remaining part (i.e. other than area of	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (e) Persons other than companies deriving income	(e) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary (f) All cases of persons referred to in corresponding entry in items (f) and (g) of column (5)	

			Bhopal Municipal Corporation and Kolar Municipality) of Huzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Pr. CIT-1, Bhopal; (d) District of Raisen	from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) and (c) of column (4). (f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (d) of column (4) (g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4).	
--	--	--	---	--	--

			(c) Mandideep Industrial area of Raisen District	(f) Persons being companies registered under the companies Act, 2013 or under the companies Act 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (e) of column (4); (g) Persons being individuals referred to in item (h) of column (6);	(g) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (l) of column (5) whose name begin with the alphabet 'N' to 'Z' (h) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (6)
			(f) District of Raisen excluding Mandideep Industrial area, Mandideep	(h) Persons being companies registered under the companies Act, 2013 or under the companies Act 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (f) of column (4); (i) Persons being individuals referred to in item (j) of column (6)	(i) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5). (j) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5)

**OFFICE OF THE
JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-1
ANNEXE BUILDING, NAPIER TOWN, JABALPUR, (M.P.)**

Order No. 1/2020-21

Dated 14/09/2020

ORDER UNDER SECTION 120 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in accordance with Notification Number S.O. No. 2752 (E) dated 22nd October, 2014 of Government of India, Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(ii) dated 22nd October, 2014 [Notification No. 50/201/F/No. 187/38/2017(ITA.I)], Notification No. 64/2014 F. No. 187/40/2014 ITA-I) dated 13.11.2014 and subsequent order of the Principal Commissioner of Income-tax-1, Jabalpur dated 14/09/2020 vide F.No. PR.CIT-1/JBP/120/JURISDICTION/2020-21/1306, dated 14 /09/2020, I, the Joint Commissioner of Income Tax, Range-1 Jabalpur having been authorized so, hereby make the following amendments in the notification vide F.No. JCIT/R-1/JBP/Jurisdiction/2014-15, dated 15/11/2014 :-

- (i) For the Schedule appearing in Notification No.-1 of 2014-15 vide F.No. JCIT/R-1/JBP/Jurisdiction/2014-15, dated 15/11/2014, the following schedule shall be substituted.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Designation of Income- tax authorities	H. qtrs	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deputy/Assi- stant Commissio- ner of Income Tax, Circle Katni	Katni	Entire territorial area under the jurisdiction of Addl./JCIT, R-I, Jabalpur	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>d. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

			District of Sagar, Damoh & Bina.	<p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>h. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>
--	--	--	----------------------------------	---	---

		District of Chhindwara, Balaghat & Seoni	<p>i. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>j. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>k. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned/ last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>l. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p>	(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5); (f) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) of column (5).
2	Income Tax Officer, Ward- 1(1), Jabalpur	<p>a. Municipal Wards of Jabalpur City:-</p> <p>Kasturabagandhi (10)</p> <p>Swami Vivekanand (11)</p> <p>Cherital (12)</p> <p>Maharaja Agrasen (13)</p> <p>Mahatma Gandhi (14)</p> <p>Jawahar ganj (15)</p> <p>Lokmanya Gangadhar Tilak (16)</p> <p>Khermai (19)</p> <p>Hanumantal(20)</p> <p>Pt.Motilal Nehru (21)</p> <p>Sardar Ballabh Bhai Patel (22)</p> <p>Dr. Rajendra Prasad (23)</p>	<p>b. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5); (b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).

		Govind Vallabh Pant (26)	d. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.	
		b Tehsil of Jabalpur District, namely, Jabalpur Kundam and Majholi. C.District of Jabalpur at Col. No. 2(g)	e. All persons whose main source of income is under the head salary receivable from MPSEB, and its sister units situated within the areas mentioned at (b) in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.	(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5); (d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).
		District of Mandla	f. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs. g. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs. h. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs. i. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.	
3	Income Tax Officer, Ward 1(2), Jabalpur	a. Municipal Wards of Jabalpur City:- Kamala Nehru Nagar (1) Subhadra Ku.Chouhan (2)	a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1 st April, 2014,	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);

		<p>Pt. Din Dayal Upadhyaya (24)</p> <p>Rajiv Gandhi (25)</p> <p>Moulana Abul Kalam Azad (27)</p> <p>Dr. ZaKir Hussain (40)</p> <p>Gokalpur (45)</p> <p>Dr. Bhim Rao Ambedkar (46)</p> <p>Shahid Bhagat Singh (47)</p> <p>Maharshi Sudarshan (48)</p> <p>Chandra Shekhar Azad (49)</p> <p>Garha (55)</p> <p>Maharana Pratap (56)</p> <p>Indira Gandhi (57)</p> <p>•</p> <p>b. Tehsil of Jabalpur district, namely, Patan and Shilipura.</p> <p>c. District of Jabalpur at Col. No2 (g)</p>	<p>does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>d. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>e. All persons whose main source of income is under the head salary receivable from non-Govt. i.e. Private sectors within the areas mentioned at (b) in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	<p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
		<p>a.Municipal Wards of Jabalpur City:-</p> <p>Pt. Bhawani Prasad Tiwari (9)</p> <p>Netaji Subhash Chandra Bose (35)</p> <p>Shaheed Abdul Hamid (36)</p> <p>Chhitaranjan Das (41)</p> <p>Maharshi Mahesh Yogi (42)</p> <p>Diwan Adhar Singh (43)</p> <p>Nirmal Chandra Jain (44)</p> <p>b.Tehsil of Jabalpur District, namely, Sihora and Panagar.</p> <p>c. District of Jabalpur at Col. No.2(g)</p>	<p>f. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>h. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5)</p>

			/ loss of Rs.15 lacs.	
			<p>i. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>j. All cases whose main source of income is under the head salary receivable from State Government except MPSEB and its sister units within the areas mentioned at (c) in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	
4	Income Tax Officer, Ward - Narsinghpur	District of Narsinghpur	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>d. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

			<p>mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>h. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>column (5);</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>
5	Income Tax Officer-I, Sagar	<p>a) Municipal Ward of Sagar City:-</p> <p>1. Civil Line</p> <p>2. Gour Nagar Ward</p> <p>3. Rajakhedi</p> <p>4. Patkui</p> <p>5. Bararu</p> <p>6. All Army Area</p> <p>7. Sadar Area</p> <p>8. Bhagwanganj,</p> <p>9. Tulsi Nagar</p> <p>10. Gujrati Bazar</p> <p>11. Shukrawati Tori</p> <p>12. Shanichari Tori</p> <p>13. Krishna Ganj</p>	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

		<p>a) Municipal Ward of Sagar in Makroniya area</p> <p>b) Tehsils of Sagar District:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehli 2. Garhakota 3. Banda 4. Shahgarh 5. Rahatgarh 6. Deori 	<p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>h. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>
		<p>a) Municipal Ward of Sagar City:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shivaji Ward 2. Gopalganj Ward 3. Tili Ward 4. Dharmshree 5. Rajghat Area 6. Mainpani 7. Somnathpuram 8. Rajeev Nagar Ward 9. Kakaganj Ward 10. Keshavganj Ward 11. Bada Bazar 12. Namak Mandi Area 13. Parkota Ward 14. Teen Batti Area 	<p>i. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>j. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>k. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>l. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(f) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) of column (5).</p>

		<p>15. Vijay Talkies area</p> <p>16. Bhopal Road.</p> <p>b) Tehsil Sagar Excepting area within municipal limits of Sagar city and cantonments board.</p>		
		<p>Tehsil of Sagar District:</p> <p>1.Bina 2.Khurai</p>	<p>m. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>n. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>o. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>p. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(g) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(h) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (m) of column (5).</p>
6	Income Tax Officer, Ward- 1- Chhindwara	Entire territorial area of Amarwara Tehsil, Harrai Tehsil and Chourai Tehsil(including Chand). Also a part of Chhindwara City starting from Railway Track (connecting Parasia and , Chhindwara) upto Municipal limits towards Nagpur Road and Parasia Road.	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

			<p>mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>d. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>e. All persons whose main source of income is under the head salary receivable from MPSEB, and its sister units situated within the areas mentioned at (b) in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>f. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>h. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>i. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>j. All persons whose main source of income is under the head salary receivable from non-Govt. i.e. Private sectors within the areas mentioned at (b) in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not</p>	
		Entire territorial area of Parasia Tehsil, Junnardeo Tehsil, Tamia Tehsil and Umreth Tehsil. Also a part of Chhindwara City starting from Railway Track (connecting Parasia and Chhindwara) upto Municipal limits towards Seoni Road and Narsinghpur Road.	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).</p>	

		Entire territorial area of Pandhurna Tehsil, Saunsar Tehsil, Bichua Tehsil and Mohkhed Tehsil. Also a part of Chhindwara Tehsil excepting area within Municipal limits of Chhindwara City.	exceed income / loss of Rs.15 lacs.	(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5); (f) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (k) of column (5).
7	Income Tax Officer-Balaghat	District of Balaghat	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>All cases whose main source of income is under the head salary receivable from State Government except MPSEB and its sister units within the areas mentioned at (c) in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5); (b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding

				c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.	entry in item (a) of column (5).
8	Income Tax Officer, Seoni	District of Seoni		<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>d. Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column(4), whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

This order shall come into force with effect from 13/08/2020.

SANKAR KUMAR HALDER, Joint Commissioner of income Tax-1.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक—3910—वि.यो. 496—नगानि—2020.—

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2020

सिहोरा विकास योजना, 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सिहोरा विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : —

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सिहोरा

अनुसूची

क्रं	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	<p>अध्याय—6</p> <p>6.2 क्षेत्राधिकार :-</p> <p>13. कोई नहीं</p>	<p>अध्याय—6</p> <p>6.2 क्षेत्राधिकार :-</p> <p>अनुक्रमांक 12 के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाता है।</p> <p>13 - झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं यदि झुग्गी/झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ आमोद प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्थापन गाहय होगा। इसमें भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शहरी गरीबों की परियोजनाओं को भी तदनुसार अनुमति/अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।</p>

<p>2 अध्याय-6 सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 4 कॉलम 4</p> <p>सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 7 कॉलम 4</p>	<p>अध्याय-6 सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में पेट्रोल पम्प के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **</p> <p>सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में ढाबा के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।</p>
<p>व्याख्या-</p> <p>1 *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।</p> <p>2 ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।</p> <p>3 *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।</p> <p>टीप :- उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।</p>	

प्रस्तावित उपांतरण के ब्लौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में 'मध्य प्रदेश राजपत्र' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त—सह—संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेप उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक—5269—भू—अर्जन—2020.—

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 सितम्बर 2020

चैंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ—22 ए/101/2016/एम०पी०एस०/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—6 (2) के अन्तर्गत ‘सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।’” अतः अधिनियम की धारा—6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा—11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम— सांख, प०ह०न—53 ब.न.—270 रा.नि.म. —कपूरा	रक्बा— 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दायी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की सब माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपर्वतन दायी तट नहर उपसंभाग क0-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना

प्र.क्र.—30—आ—82—भू—अर्जन—उ.म.रे.—2018—8691।—

मुरैना, दिनांक 14 सितम्बर 2020

(भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्रामीण—श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम रिठोनिया प0ह0क0—39 रा0नि0 वृत—02 तहसील —कैलारस उपखण्ड— कैलारस जिला—मुरैना में कुल 1.152 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम— रिठोनिया .प0ह0क0—.39. रा0नि0 कैलारस वृत—02 तहसील—कैलारस उपखण्ड— कैलारस जिला—मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	मुरैना
ख.	तहसील	कैलारस
ग.	ग्राम	रिठोनिया
घ.	लगभग क्षेत्रफल	1.152 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	74	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.500	सरवन लोदू मावसिया पि कुढ़ेरी आनन्दी बतसिया पुत्रियां कुढ़ेरी 1/2 समान जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मदनु पुत्र मंगलिया भूरी पुत्री मंगलिया 5/178 समान जाति काढ़ी निवासी नैपरी मांगी पुत्र लुखरू दिवाईलाल होतम मूला पुत्रगण गनेशा हि0 84 / 178 जाति धोबी पता निवासी नैपरी भूमि स्वामी।
2	78/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.024	रामसिंह पुत्र मुरली जाति कोरी पता नि. ग्राम आंतरी शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी।
3	79/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	गोविन्द मुकन्दी कीरतराम पुत्रगण गिरबर बैकुण्ठी शीला पुत्रियां गिरबर जाति किरार पता निवासी ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार।

4	81	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.151	रामसिंह पुत्र मुरली जाति कोरी पता निवासी आंतरी भूमिस्वामी।
5	82/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.007	किन्ती पुत्री मुल्ला शान्ती पत्नी सुखचन्द जाति किरार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
6	82/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.188	<p>कहैयालाल पुत्र पंचमसिंह हि 8572 वर्गफुट काढ़ी निवासी सेठबारी सुरजेश कुमार पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी कीरतपुर हि 800 वर्गफुट राजेश पत्नी विजय सुधा पत्नी दिलीप हि 0 1600 वर्गफुट ब्रां निवासी झटोरा नरेशचन्द्र पुत्र प्यारेलाल हि 0 800 वर्गफुट रामप्रकाश पुत्र हीरालाल हि 0 900 वर्गफुट जाति कोरी निवासी रिठोनिया रामप्रकाश पुत्र हीरालाल हि 0 900 वर्गफुट जाति कोली निवासी रिठोनिया शेलेन्द्र पुत्र मिश्रीलाल हि 0 1208 वर्गफुट वैश्य नि० जौरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दर्शन पुत्र रतीराम हि 0 17 आरे मोहरसिंह रघुबीर नरेश पुत्रगण छावेराम हि 0 3/6 समान जसवन्त पुत्र जनबेद हि 0 1/6 मुन्ना पुत्र रामस्वरूप हि 0 2/6 दर भाग 6 आरे जाति बघेल मनीराम पुत्र गोपाल जाति धाकड़ सरवन पुत्र हीरालाल हि 0 1480 वर्गफुट धाकड़ गजाधरसिंह हि 0 1600 वर्गफुट बनवारी हि 0 800 वर्गफुट पुत्रगण पतिराम लाखनसिंह पुत्र विसराम हि 0 800 वर्गफुट जाति धाकड़ निवासी वस्तोली माया पत्नी गंगाराम जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम कैलारस 900 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी कमला पत्नी सरवन हि 0 1000 वर्गफुट जाति जाटव निवासी बिचोली कमलेश पत्नी रामप्रसाद हि 900 वर्गफुट शिवहरे निवासी ओछापुरा हुकमसिंह पुत्र भगवानलाल हि 0 800 वर्गफुट जाति धाकड़ खुमाम का पुरा जितेन्द्र पुत्र मंगलिया हि 0 800 वर्गफुट जाति जाटव नि० चिन्नोनी मुकेश पुत्र रामस्वरूप वैश्य हि 0 1000 वर्गफुट नि० कैलारस सीताराम पुत्र रामजीलाल हि 1000 वर्गफुट जाति ब्रां निवासी जौरा रंजीत सिंह पुत्र जयराम हि 0 2000 वर्गफुट जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बावूलाल पुत्र परमसुख जाति शिवहरे हि 0 1500 वर्गफुट रामा शाक्य पत्नी मनोजशाक्य हि 0 1000 वर्गफुट नि० आंतरी ओमप्रकाश पुत्र रामचरनलाल जाति ब्रां नि० सुजर्मा हि 800 वर्गफुट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।</p>

7	83	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.104	शुशील दास सदगुरु सुवर्णदास जाति पारख कबीर साधु पता निवासी कबीर आश्रम रिठोनिया भूमिस्वामी।
कुल 07 सर्वे नं में अर्जित रकवा				1.152 है०	.

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के बोन चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावधिकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष्ठन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र.—क्यू—2018—19—भू—अर्जन—2020.—

विदिशा, दिनांक 15 सितम्बर 2020

अंतर्गत धारा—19 भू—अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्वस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील—पठारी जिला—विदिशा के ग्राम—बड़ोह के लिए बांध झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार एवं मकान इत्यादि का विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्वस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा—19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अकित्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम—बड़ोह

तहसील — पठारी

जिला — विदिशा

संक्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टर. में.)
1	रामसिंह, मानसिंह, परम, मुन्जालाल, छोता, पर्वत, पप्पू पुत्रगण मनमोहन मीराबाई पुत्र मनमोहन, बालोबाई वेबा मनमोहन 9/10 समान कल्लू, महेश व बाबू मायाबाई पुत्री खिलान 1/10 समान जाति आदिवासी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	817/5	0.836	0.012
2	राजेन्द्रप्रसाद पुत्र मोजीलाल जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	843/2/1	0.627	0.015
3	श्रीराम पुत्र मोजीलाल जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	843/2/2	0.627	0.168
4	बालराम पुत्र मोजीलाल जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	843/2/4	0.627	0.010
5	युनूश, युसूफ पुत्रगण एहमद नूर खाँ जाति मुसलमान पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	843/4	1.254	0.120

6	कोमल पुत्र उमराव, सुमंत्रा बाई बेवा उमराव हि. 1/2 समान नत्थू बाबूलाल पुत्रगण मुल्ले भूमि स्वामी पूनाबाई बेवा मुल्ले जाति रावत पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी	843/5	1.254	0.355
7	एहमदखाँ पुत्र नजवखाँ जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	843/6	0.084	0.084
		847	0.303	0.115
8	इसराइलखा पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0095 / 1702 भाग भूमि स्वामी आविदखा पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0095 / 1702 भाग भूमि स्वामी असगरखा पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0095 / 1702 भाग भूमि स्वामी हुसैनखा पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0095 / 1702 भाग भूमि स्वामी हसनखा पिता अकबर खा पता विदिशा गाय प्रदेश 0094 / 1702 भाग भूमि स्वामी अफसानाबी पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0094 / 1702 भाग भूमि स्वामी लखसानाबी पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0094 / 1702 भाग भूमि स्वामी अफसरीबी पिता अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0094 / 1702 भाग भूमि स्वामी फातिमा बेवा अकबर खा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0095 / 1702 भाग भूमि स्वामी इस्लामखा पिता फैयदखा पता विदिशा मध्य प्रदेश 0851 / 1702 भाग भूमि स्वामी	844	0.209	0.082
9	कल्लूखाँ जलीलखाँ पुत्रगण छोटेखाँ सायनाबी पुत्री छोटेखाँ वीरनबी बेवा छोटेखाँ जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	846/3	0.452	0.333
		848	0.230	0.200
10	रनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दागी पता खडाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	849/1	1.071	1.071
11	जयसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दागी पता खडाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	849/2	1.071	1.071
12	मोहरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दागी पता नि. ग्राम खडाखेड़ी पाहि भूमि स्वामी	852/1/क	1.912	1.912
13	शान्ता जैन पत्नी फूलचंद जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	852/1/ख	1.902	1.902
14	नथनसिंह मोहरसिंह पुत्रगण भगवानसिंह जाति दागी पता निवासी ग्राम खडाखेड़ी समान भाग भूमि स्वामी	852/2	1.683	1.683

15	अजुर्दी पुत्र कम्बोद जाति ढीमर पता नि.ग्राम चन्द्रली(पाही) भूमि स्वामी	853	1.557	1.557
16	फूलचंद पुत्र घासीराम जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	854	0.178	0.178
		855	2.675	2.675
17	कमलसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दाँगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	856/1	1.035	0.209
		856/2	0.627	0.627
		858/1	0.010	0.010
		858/2/2/1	0.774	0.395
18	गोविन्दसिंह पुत्र रन्धीरसिंह जाति दाँगी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	856/3	0.418	0.418
19	अमोलसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	858/2/1/2	0.027	0.027
20	सतीषकुमारजैन पिता फूलचंद पता पिंडिशा मध्य प्रदेश 0249 / 0836 भाग भूमि स्वामी गजराज पिता गणेश राम पता विदिशा मध्य प्रदेश 0248 / 0836 भाग भूमि स्वामी सरस्वती पिता गणेश राम पता विदिशा मध्य प्रदेश 0249 / 0836 भाग भूमि स्वामी मीनाबाई पिता गणेश राम पता विदिशा मध्य प्रदेश 0090 / 0836 भाग भूमि स्वामी	858/2/2/2	0.836	0.120
21	सतीष कुमार पुत्र फूलचंद जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	859/1	0.209	0.005
		859/2	0.627	0.052
22	आजादखां पुत्र सलामत खां, समीनाबी, हसीनाबी पुत्रीया सलामतखां जाति बेहना मुसलमान पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	860	0.972	0.002
23	पूनाबाई बेवा कन्हैयालाल जाति काठी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	862	2.153	2.081
24	रघुराज पुत्र अमोलसिंह जाति दाँगी पता खड़ा खेड़ी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	863/1/1	0.209	0.100
25	भूरीबाई बेवा तुलाराम जाति ढीमर पता वडोह पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	863/1/2	0.836	0.333
26	भरोसी पुत्र भभूती ढीमर नि. ग्राम भूमि स्वामी	863/2	0.732	0.125

		865/2	0.222	0.062
27	श्यामलाल दशरथ शारदानवाईभेवाबाई पुत्र पुत्रीगण बिहारी छोटीबाई बेवा बिहारी भाग सामान जाति ढीमर पता निवासी ग्राम पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	865/1	0.795	0.094
28	पारवतीबाई पत्नी बहादुरसिंह जाति दारी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	897	1.599	1.173
		1.296, 898-0.303		
		900/2/2	0.418	0.103
29	कमरुनबी पुत्री रहमानखां जाति मुसलमान पता वडोह पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	900/1/1	0.432	0.250
30	वाहिदखां पुत्र रहमानखां जाति मुसलमान पता वडोह पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	900/1/2	0.449	0.327
31	सहादखां पुत्र रहमानखां जाति मुसलमान पता वडोह पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	900/1/3	0.373	0.373
32	थानसिंह पिता लालसिंह पता विदिशा मध्य प्रदेश 0154 / 0920 भाग भूमि स्वामी रिषीकुमार पिता लालसिंह पता विदिशा मध्य प्रदेश 0154 / 0920 भाग भूमि स्वामी रेखा पिता लालसिंह पता विदिशा मध्य प्रदेश 0153 / 0920 भाग भूमि स्वामी अभिलाषा नाबालिंग पिता लालसिंह संरक्षक केशरबाई पता विदिशा मध्य प्रदेश 0153 / 0920 भाग भूमि स्वामी मोना नाबालिंग पिता लालसिंह संरक्षक केशरबाई पता विदिशा मध्य प्रदेश 0153 / 0920 भाग भूमि स्वामी केशरबाई पति लालसिंह पता विदिशा मध्य प्रदेश 0153 / 0920 भाग भूमि स्वामी	900/2/1	0.836	0.627
33	शफीकमोहम्मद पुत्र मुस्ताकखां जाति मुसलमान पता नि. ग्राम पठारी भूमि स्वामी	900/3/1	0.446	0.314
		908/2/2	0.523	0.418
34	मनीषकुमार पुत्र कृष्णभकुमार जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	900/3/3	0.894	0.309
		908/1/2	0.402	0.100
35	गुलझारीलाल, गोरेलाल अजदसिंह, घनश्याम, श्रीराम पुत्रगण शंकर, सोभाबाई मीराबाई पुत्रीया शंकर गजरोबाई पता बेवा शंकर हि. 1.322/2.226 भूमि स्वामी भगवानसिंह पुत्र बाबूलाल पच्चोबाई पुत्री बाबूलाल	908/1/1	1.254	0.152

	भगवानसिंह पुत्र बाबूलाल पच्चोबाई पुत्री बाबूलाल खुम्मोबाई बेवा बाबूलाल हि. 0.904/2.226 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	909/1	0.857	0.184
36	पठारी(पाही) भूमि स्वामी	908/2/1	0.523	0.209
37	घनशयाम पुत्र कुंजीलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम पदमराई पाही भूमि स्वामी	909/2	0.418	0.087
कुल योग		49	38.458	22.829

अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण

स.क्र.	भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा	मकान धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	धारा 3डी के तहत परिवार के व्यस्क सदस्य	मकान का विवरण		
						मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर (ल. x चौ.)	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजुर्दी पुत्र कम्मोद जाति ढीमर पता नि.ग्राम चन्दूली(पाही) भूमि स्वामी	853	1.557	अजुर्दी पुत्र कम्मोद जाति ढीमर पता नि.ग्राम चन्दूली(पाही) भूमि स्वामी		मकान दीवाल पथर एवं इंट की छत खप्पर एवं पथर की	4.10x13.40	54.94

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वर्त्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है अतः पुनर्वर्त्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्वर्त्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.—क्यू—2018—19—भू—अर्जन—2020.—

अंतर्गत धारा—19 भू—अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील—पठारी जिला—विदिशा के ग्राम—गौड़खेड़ी के लिए बांध ढूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार का विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा—19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची

हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम—गौड़खेड़ी

तहसील — पठारी

जिला — विदिशा

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. मे.)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. मे.)
1	जुगराजसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	64	1.170	0.250
2	पवनकुमार पुत्र खुमानसिंह जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	66	3.544	0.397
3	गोरीशंकर पुत्र किशोरीलाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	69/1	1.129	0.030
4	शिवराजसिंह पुत्र नथनसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	75 76/2-0.575, 77/1 1.045 योग	0.052 0.575 1.045 1.672	0.052 0.575 0.555 1.182
5	हरिराम पुत्र धूमनसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	76/1 81/1/1 262/2	0.657 0.298 1.066	0.657 0.298 0.236
6	मदनसिंह पुत्र शिवप्रसाद जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	76/3-0.107, 77/2- 0.627, 78-0.721, 79/2-0.240 योग	0.107 0.627 0.721 0.240 1.695	0.107 0.000 0.000 0.090 0.197

7	मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नेतराम पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नीलेश पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी राधारानी बेवा खेतसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	79/1	0.627	0.205
8	सचेन्द्र पुत्र हरिराम जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	81/1/2	0.956	0.956
		82/2/1	0.627	0.627
9	मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	81/2	1.015	1.015
10	रामसिंह पुत्र नथनसिंह जाति कुर्मी पता बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	82/1	0.836	0.836
		305/2	4.970	4.970
		252-0.575,	0.575	0.000
		253/1-0.774,	0.774	0.000
		254-0.293	0.293	0.040
		योग	1.642	0.040
		255/2/2	0.117	0.117
11	गन्धर्वसिंह पुत्र ठाकुरदास जाति कुर्मी पता बिसराई पाही विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	82/2/2/1	0.189	0.189
		258/2	1.192	1.192
12	ठाकुरदास पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	82/2/2/2	0.020	0.020
13	गुलावसिंह पुत्र सुखलाल जाति कुर्मी पता बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	82/3	0.376	0.376
14	आशाराम पुत्र बुद्धे जाति कुर्मी पता बिसराही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	241/1	1.254	1.254
		246/1	0.940	0.940
15	कृष्णमुरारी पुत्र सुमेरसिंह जाति कुर्मी पता बिशरही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	242	0.345	0.184
		250	0.314	0.137
		251	1.317	0.186
		255/1	0.376	0.360
		304/2	0.261	0.261

16	सूरतसिंह पुत्र बुद्धे जाति कुर्मी पता बिसराही पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	243	0.470	0.470
17	घनश्याम पुत्र किशोरी जाति कुर्मी पता बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	246/2	0.524	0.524
18	हल्कई पुत्र किशोरी जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	246/3	0.524	0.524
19	निर्भयसिंह पुत्र किशोरी जाति कुर्मी पता बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	246/4	0.727	0.727
20	रविन्द्र पुत्र भैयालाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन पुत्र भैयालाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी दीपेश नाबालिंग पुत्र भैयालाल संरक्षक शरस्वतीबाई जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राधे नाबालिंग पुत्र भैयालाल संरक्षक शरस्वतीबाई जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई बेवा भैयालाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	246/5	0.524	0.524
21	श्रीमति सीताबाई पुत्र कमलेश जाति कुर्मी पता गौडखेड़ी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	246/6	0.524	0.524
22	भूपेन्द्रसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति कुर्मी पता बिसराही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	249	6.187	6.187
23	क्रष्णावाई बेवा वेनीप्रसाद जाति कुर्मी पता बिसराही पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी विनोद कुमार पुत्र वेनीप्रसाद जाति कुर्मी पता बिसराही पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नरेन्द्रसिंह पुत्र वेनीप्रसाद जाति कुर्मी पता बिसराही पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्रसिंह पुत्र वेनीप्रसाद जाति कुर्मी पता बिसराही पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्रसिंह पुत्र वेनीप्रसाद जाति कुर्मी पता बिसराही पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	255/2/1 304/1 305/1 2.137, 2.06- 0.167 307	0.259 0.251 2.304 2.304 2.666	0.138 0.251 2.304 1.730

24	हरप्रसाद पुत्र हरिसिंह जाति यादव पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	256/1	0.386	0.386
25	नीलेश कुमार पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	256/2	0.387	0.387
26	नेतराम पुत्र खेतसिंह जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	257	0.836	0.836
		262/1	0.449	0.449
27	प्रेमसिंह पुत्र ठाकुरदास जाति कुर्मी पता बिसराई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	258/1	1.191	1.191
28	फूलसिंह पुत्र ठाकुरदास जाति कुर्मी पता बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	258/3	1.192	1.192
29	टीकाराम पुत्र ठाकुरदास जाति कुर्मी बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	258/4	1.192	1.192
30	राजेन्द्र पुत्र शिवप्रसाद जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	261	1.526	1.526
31	महेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति कुर्मी पता बिसराई पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	303/1	1.254	0.272
	कुल योग:-	48	51.978	38.446

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-क्यू-2018-19-भू-अर्जन-2020.-

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील- पठारी जिला- विदिशा के ग्राम - पीरोठा के लिए बांध झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा- 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची
हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-पीरोठा

तहसील – पठारी

जिला – विदिशा

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	रावे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
1	तुलसीराम पुत्र खूबसिंह जाति दांगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	2/1	1.536	1.536
		5/2	0.209	0.209
		34	0.073	0.073
		35	0.052	0.052
2	भैरोसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	2/2	0.648	0.648
		30/2	1.359	1.359
		31/1	0.682	0.682
3	रामबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी पता खड़ाखेड़ी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	4/1	1.672	1.672
		5/1	0.836	0.836
4	रामरतीबाई पत्नी तुलसीराम जाति दांगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	4/2	0.816	0.816
		30/1	0.961	0.961
		37	0.063	0.063
		38	0.052	0.052
5	प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	6/1	1.292	1.292
6	जसवंतसिंह पुत्र रामसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	6/2	1.293	1.293
7	बदनसिंह पुत्र रामसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	6/3	1.293	1.293

8	नथनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	7/1	1.299	1.299
9	मोहरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	7/2	1.300	1.300
10	संतोषसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	7/3	0.109	0.109
		22	0.533	0.533
		23	0.658	0.658
11	राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	8/1	2.137	2.137
		19/1	0.993	0.993
		20/1	0.486	0.486
		24	0.105	0.105
		26/1	2.927	2.927
		28/1/1	1.181	1.181
		45/1	0.935	0.935
12	भूपेन्द्रसिंह उर्फ रामजी पुत्र नारायणसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	8/2	2.138	2.138
		19/2	0.993	0.993
		20/2	0.486	0.486
		25/2	0.836	0.836
		26/2	0.721	0.721
		28/1/2	1.182	1.182
		44	1.526	1.526
		45/2	0.936	0.936
		46/1	0.783	0.783
13	तुलसीराम पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	10/1/1	0.627	0.627
14	बलरामसिंह पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	10/1/2	0.627	0.627
15	गुलाबसिंह पुत्र भैयालाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	10/2	4.150	4.150

16	हैमराज पुत्र शोभाराम जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	10/3 17/1/2 18/1	1.359 0.482 0.846	1.359 0.482 0.846
17	चेनसिंह पुत्र बाबूलाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	11/1	0.825	0.825
18	अम्बिकाप्रसाद पुत्र मोतीराम जाति ब्राह्मण पता भौंरासा पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी द्वारकाप्रसाद पुत्र मोतीराम जाति ब्राह्मण पता भौंरासा पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	11/2 49/1/1	1.650 0.295	1.650 0.295
19	शेलेन्द्रसिंह नाबालिंग पुत्र निरंजनसिंह संरक्षक पिता जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	12	2.497	2.497
20	कोगलरिहं पुत्र करनरिहं जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	14/1 60/1 61 63 75/1 76/1 78 79	1.724 0.302 0.115 0.094 0.387 0.054 1.463 0.084	1.724 0.302 0.115 0.094 0.387 0.054 1.463 0.084
21	श्यामबाई बेवा छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी महेश पुत्र छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी टीकाराम पुत्र छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी गोलू पुत्र छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	14/2/1 15/1	0.571 0.557	0.571 0.557

	दयावती पुत्री छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी भवनेशसुरी पुत्री छोटेलाल जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	18/2	0.053	0.053
22	द्रोपतीबाई बेवा गोपाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी इन्द्ररसिंह पुत्र गोपाल जाति कुर्मी पता पीरोठा पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्ररसिंह पुत्र गोपाल जाति कुर्मी पता पीरोठा पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	14/2/2	0.571	0.571
		15/2	0.558	0.558
		18/4	0.052	0.052
		46/2	0.784	0.784
		52/2	1.003	1.003
23	प्रतापसिंह पुत्र रामलाल जाति कर्मी पता कांकलखेड़ी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	14/2/3	0.572	0.572
		15/3	0.557	0.557
		18/5	0.052	0.052
		46/3	0.784	0.784
		52/3	1.003	1.003
24	मंदिर श्रीराम जानकी व राधाकृष्ण व्यवस्थापक समिति बालमुकुन्द पुत्र भैयालाल व निरंजनसिंह पु. भूमि स्वामी रघुवर व प्रबंधक जिला अध्यक्ष महोदय, विदिशा भूमि स्वामी	17/1/1	1.254	1.254
25	लक्षणसिंह पुत्र भावसिंह जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ पाही पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	17/1/3	2.508	2.508
26	मंदिर श्री हनुमानजी बालमुकुन्द एहतमाम बालमुकुन्द पुत्र भैयालाल निरंजनसिंह पुत्र रघुवरप्रसाद चंदनसिंह पुत्र पूरनसिंह गंगाराम पुत्र भैयालाल जिलाध्यक्ष महोदय, विदिशा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/2	0.627	0.627
27	गुडडीबाई बेवा सुदामा जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी दीपक नाबालिंग पुत्र सुदामा संरक्षक माँ स्यम जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	18/3/1	0.627	0.627

28	कमलसिंह पुत्र हल्कूराम जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	18/3/2	0.627	0.627
29	सोहनसिंह पुत्र हल्कूराम जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	18/3/3	0.627	0.627
30	सुमेरसिंह पुत्र हल्कूराम जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	18/3/4	0.627	0.627
31	नथनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खडाखेड़ी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी मोहरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खडाखेड़ी विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी संतोषसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग रामकली पुत्री भगवानसिंह जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी रामा पुत्री भगवानसिंह जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी राजवाला पुत्री भगवानसिंह जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई बेवा भगवानसिंह जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	21	0.209	0.209
32	प्रशान्तसिंह नावालिंग पुत्र भूपेन्द्रसिंह संरक्षक पिता भूपेन्द्रसिंह जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	25/1	0.993	0.993
33	नवलसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति दाँगी पता खडाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	28/2/क	0.794	0.794
		29/2	0.945	0.945
		31/2	1.545	1.545
		36	0.042	0.042
34	कमलाबई पल्ली मोहरसिंह जाति दाँगी पता खडाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	28/2/ख	0.418	0.418
35	आशासिंह पल्ली किशोरसिंह जाति राजपूत पता ललितपुर विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	29/1	0.946	0.946

36	रामाबाई बेवा माखनसिंह जाति दाँगी पता पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अरविन्द पुत्र माखनसिंह जाति दाँगी पता पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी वर्षा पुत्री माखनसिंह जाति दाँगी पता पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी ऋतू पुत्री माखनसिंह जाति दाँगी पता पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	31/3	0.836	0.836
37	श्रीबाई पुत्री दरयाबसिंह पल्ली भगवानसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	39	0.115	0.115
		40	0.063	0.063
38	रनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	41/1	4.154	4.154
39	जयसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति दाँगी पता खड़ाखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	41/2	1.688	1.688
		65	0.230	0.230
		66	1.306	1.306
		67	0.930	0.930
		69/3	0.836	0.836
40	अमरसिंह पुत्र पूरणसिंह जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	43	0.021	0.021
		47	2.487	2.487
41	नारायण प्रसाद पुत्र नंदराम जाति ब्राह्मण पता कोरसा पाही विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	48	1.702	1.702
		49/2	0.806	0.806
42	श्रीमति सरोजबाई पल्ली उमाशंकर जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	49/1/2	2.090	2.090
43	केशरीसिंह पुत्र परषोत्तम जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भागभूमि स्वामी डेलनसिंह पुत्र परषोत्तम जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	49/3	0.586	0.586
		54	0.941	0.941
		56	0.784	0.784
		57	0.135	0.135

44	परषोत्तम पुत्र करणसिंह जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	50 51 53 55 58 59 60/2	1.829 0.021 0.021 0.063 0.209 0.157 1.924	1.829 0.021 0.021 0.063 0.209 0.157 1.924
45	माखनसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति कुर्मी पता गुआरी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	52/1	1.004	1.004
46	निरंजनसिंह पुत्र रघवरप्रसाद जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	68/1 69/1	0.165 2.184	0.165 2.184
47	उमाबाई पुत्री हरनामसिंह पत्नी निरंजन सिंह जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	68/2	0.410	0.410
48	भूपेन्द्रसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	69/2	2.070	2.070
49	पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति कुर्मी पता कांकलखेड़ी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	75/2 76/2 81	1.828 0.500 0.020	1.828 0.500 0.020
	कुल योग	116	104.703	104.703

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्ववस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्ववस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्ववस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.—क्यू—2018—19—भू—अर्जन—2020.—

अंतर्गत धारा—19 भू—अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील— पठारी जिला— विदिशा के ग्राम— सेदपुर के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा— 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची
हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम—सेदपुर
तहसील — पठारी जिला — विदिशा

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रक्षा (हेक्टे. में)	कुल प्रभावित रक्षा (हेक्टे. में)
1	कुद्दा पुत्र कोमल जाति चिंडार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	244/1	1.000	0.220
2	सुनीता वेबा गोपाल, संजय व अजय नावा. पुत्रगण गोपाल जाति धानक पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय	244/3/1	0.990	0.261
3	सुनीताबाई पत्नी सजनसिंह जाति धानक पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय	244/3/2	0.739	0.092
	कुल योग	3	2.729	0.573

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-क्यू—2018—19—भू—अर्जन—2020.—

अंतर्गत धारा—19 भू—अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील—पठारी जिला—विदिशा के ग्राम—पदमयाई के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा—19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम:—पदमयाई

तहसील — पठारी

जिला — विदिशा

सं.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
1	दामोदर प्रसाद पु. जगन्नाथ साहू नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1	1.515	0.026
2	रामचरण पुत्र भैयालाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	1.505	0.026
3	ऋधमसिंह पुत्र पूर्नसिंह जाति राजपुत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	10/2	3.073	0.052
		11	0.314	0.030
4	अंशुल पुत्र जिनेशकुमार जाति जैन पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	14/2/1	0.627	0.063
		18/1/2/1	0.105	0.050
5	घन याम पुत्र कुंजीलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1/2	0.031	0.031
		14/2/2	0.031	0.031
		18/1/2/2	0.104	0.050
		264/1/2	0.235	0.235

6	सुरेन्द्रसिंह पुत्र धीरजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17	0.721	0.345
7	देवीसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	18/1/4	0.757	0.171
8	मोहम्मदमुस्तफा खान पुत्र शोएब मोहम्मदखान जाति मुसलमान पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	168/2	6.355	2.330
9	मौ. विलाल पुत्र उमर खान जाति पठान नि. पता भोपाल (पाई) भूमि स्वामी	169	0.240	0.055
		170	0.157	0.157
		176	0.784	0.784
		263	1.621	1.621
		267	0.523	0.523
10	श्रमति गोहर वशीर पल्लि सैयद वशीर नि.ग्राम भूमि स्वामी	171	2.853	2.853
11	रामप्रसाद पु. स आ चमार निग्राम भूमि स्वामी	175	0.199	0.199
		182	0.261	0.261
12	रख्यू पुत्र स आ जाति चमार पता निग्राम भूमि स्वामी	177	0.471	0.471
		185	0.795	0.541
		186+187र .क्र.0.471, 0.052,0.2		
13	भ्रेलाल पु.. गोकलचंद साहु नि.ग्राम भूमि स्वामी	178/1	0.554	0.554
		178/2/2	0.627	0.627
		181/1/1	1.170	1.170
		184	0.283	0.283
14	भूपेन्द्र पुत्र गनेशराम जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/2/1	0.418	0.418
15	ब्रजेश कुमार पुत्र रामचरण जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	180/1	1.076	1.076
		181/1/2	1.432	1.432

16	गनेशराम पुत्र तुलसीराम जाति साह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	180/2 181/2 265	0.084 0.752 1.139	0.084 0.752 1.119
17	एहतेशांमअली पु. एहमदअली नि.ग्राम भूमि स्वामी	183/1	1.672	1.672
18	मोहम्मद बिलाल खान पुत्र उमर मो जाति मुसलमान पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी इब्राहीम खा नाबालिंग पुत्र सोहेब मोहम्मद संर क पिता जाति मुसलमान पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी मुस्तफा खाँन नाबालिंग पुत्र सोहेब मोहम्मद खा संर क पिता जाति मुसलमान पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	183/2	0.252	0.252
19	शोएवमोहम्मद पुत्र खुशि दमोहम्मद खां शियाम जाति मुसलमान भूमि स्वामी	188	2.666	1.383
20	उमरमोहम्मदखां पुत्र खुशीदमोहम्मदखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूणप भाग भूमि स्वामी	193/2 193/3+19 3/4 र.क्र. 0.418,1.2 54,0.627	2.299	1.254
21	आत्माराम पुत्र परसराम जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूण भाग भूमि स्वामी	250 252	1.663 0.805	0.224 0.375
22	मोहम्मदअली खान पुत्र उमर मोहम्मदखान जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूण भाग भूमि स्वामी	261	0.888	0.366

23	मोहम्मदअहमद खान नाबालिग पुत्र शोएब मोहम्मद खान संर क शोएब मोहम्मद खान जाति मुसलमान पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	273	3.020	1.334
24	छोटेलाल पुत्र कुंजीलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/1	0.440	0.230
		270/1	0.349	0.209
25	गोविन्दसिंह पुत्र सजनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पटरा भूमि स्वामी	264/2/1	0.600	0.140
26	फूलसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	266	0.094	0.094
		268/2	0.689	0.689
27	प्रवीन्द्रकुमार पुत्र रामसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	268/1	0.690	0.690
28	महेश पुत्र रामचरण जाति साहू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	270/2/1	0.439	0.072
29	रामबाबू व रामगुलाम पु. परसराम जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी	272	1.223	0.348
30	गोवध न पुत्र प्रतापसिंह जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	274/1	2.973	1.302
31	कड़ोरीलाल पुत्र परतापसिंह जाति यादव नि.ग्राम भूमि स्वामी	274/1/2	0.852	0.209
32	गुलाबबाई पुत्री प्रतापसि नि.ग्राम जाति अहीर भूमि स्वामी	274/2	1.254	0.040
33	प्रीतमसिंह पुत्र ल मीनारायण जाति राजपूत पता पठारी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	277/1/1	1.163	0.727
		277/2/4/ 1/0001	0.070	0.070

34	मोहम्मदअहमद खान नाबालिंग पुत्र शोएब मोहम्मद खान संर क शोएब मोहम्मद खान जाति मुसलमान पता पदमयाई पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	277/1/2	1.862	0.364
35	शीलाबाई पत्नी धर्मदसिंह जाति राजपूत पता पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	277/2/1	0.836	0.836
36	बाबुलाल पु. टीकाराम साहु नि.ग्राम भूमि स्वामी	277/2/2	0.627	0.210
37	मुन्नालाल पु. पन्नालाल साहु नि.ग्राम भूमि स्वामी	277/2/3	0.209	0.080
38	जंगबहादुर पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति राजपूत पता पठारी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सुर द्रसिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति राजपूत पता पठारी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी निरंजनसिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति राजपूत पता पठारी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पुत्री लक्ष्मी नारायण जाति राजपूत पता पठारी पाहि पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	277/2/4/ 1/0002	0.021	0.021
39	सेयद मो. जुबेर पुत्र सेयद मो.युनुस जाति मुसलमान पता निवासी खानू गाँव भोपाल पाही भूमि स्वामी	277/2/4/ 2/ख/000 2	0.418	0.100
	कुल योग	60	58.886	31.711

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

 भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.—क्यू—2018—19—भू—अर्जन—2020.—

अंतर्गत धारा—19 भू—अर्जन पुर्ववास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील— पठारी जिला— विदिशा के ग्राम— चन्दनपुर के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा— 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची
हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम—चन्दनपुर
तहसील — पठारी जिला — विदिशा

सं.क्र.	नाम कृषक/पेता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
1	प्रकाश अहिरवार पु गोरेलाल जा त चमर पता पठार पाह पठार विदिशा मध्य स पूर्ण भाग भूमि वामी	21/1 0.042,	0.042	0.000
		22-0.251,	0.251	0.000
		23-1.139	1.139	0.052
	योग		1.432	0.052
2	सुरेशचन्द पु मोतीलाल जा त जैन पता पठार पाह पठार विदिशा मध्य प्रदेश स पूर्ण भाग भूमि वामी	65	2.895	0.836
3	नमन जैन पु प्रकाशचंद जा त जैन पता पठार पठार विदिशा मध्य प्रदेश स पूर्ण भाग भूमि वामी	67	2.696	0.679

क्रमांक	विवरण	प्रति वर्गीय भूमि का मौजूदा मूल्य (रुपयोगी)	प्रति वर्गीय भूमि का अनुमानित मूल्य (रुपयोगी)	प्रति वर्गीय भूमि का अनुमानित मूल्य (रुपयोगी)
				वर्ष
4	रोहित पु कालूराम जा त जैन पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि वामी सोहित पु कालूराम जा त जैन पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि वामी रानी पु १ कालूराम जा त जैन पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि वामी रंजना पु १ कालूराम जा त जैन पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि वामी सुगन्धीवाई बेवा कालूराम जा त जैन पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि वामी	68	0.471	0.471
		70	0.773	0.773
		72	0.418	0.311
	कुल योग	6	8.685	3.122

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-क्यू-2018-19-भू-अर्जन-2020.-

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वर्स्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील- पठारी जिला- विदिशा के ग्राम- हासमपुर के लिए बांध झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वर्स्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा- 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची
हनोता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-हासमपुर
तहसील - पठारी जिला -
विदिशा

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
1	तुलसीराम पुत्र हिम्मत जाति चमार पता नि ग्राम भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय	183	0.084	0.004
	कुल योग	1	0.084	0.004

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वर्स्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्वर्स्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्वर्स्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.—2—अ82—2019—2020.—

दतिया, दिनांक 08 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची :

(1) भूमि का वर्णन :—निजी भूमि

(क) जिला—दतिया (ख) तहसील—बड़ौनी (ग) ग्राम—डंगरा (घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.03 हे.

सर्व नम्बर—151/2 कुल प्रभावित रक्वा 0.03 हेक्टेयर भूमि

(2) बड़ौनकलां ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम डंगरा में जल संशोधन संयंत्र तक एप्रोच रोड के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:— भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(4) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:— कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य योग्यिकी विभाग खण्ड दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएँ

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र. बी—3502—चार—9—04—39 भाग—तीन—डी—पेशन

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्डौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्ति किया जाता है :—

प्रथम श्रेणी अधिकारी					
क्रृ	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह	रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ—इंदौर	10.01.1959	09.01.2021	31.01.2021
2.	श्री किशोर कुमार घिठवे,	रजिस्ट्रार—कम—पी.पी.एस. उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	04.07.1959	03.07.2021	31.07.2021
3.	श्री अनिल पवार,	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	16.11.1959	15.11.2021	30.11.2021

द्वितीय श्रेणी अधिकारी					
क्रृ	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	31.03.1959	30.03.2021	31.03.2021
2.	श्री दिलीप गुप्ता	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	06.05.1959	05.05.2021	31.05.2021
3.	श्री हरीश कुमार कुशवाहा	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	19.05.1959	18.05.2021	31.05.2021

क्रं	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
4	श्री शिव सहाय सिंह	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	20.06.1959	19.06.2021	30.06.2021
5	श्री रमेशचन्द्र पारे	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ इंदौर	21.06.1959	20.06.2021	30.06.2021
6	श्रीमती अनुराधा कोमेरवार	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	21.07.1959	20.07.2021	31.07.2021
7	श्री एस०पी०ताम्रकार	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	09.10.1959	08.10.2021	31.10.2021

क्र. बी—3504—चार—9—4—39 भाग—तीन—डी

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर/गवालियर की रस्थापना के निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्ति किया जाता है :—

तृतीय श्रेणी कर्मचारी					
क्रं	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री एन०ए० खान	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	09.01.1959	08.01.2021	31.01.2021
2	श्रीमती हीरा कोष्टी	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	04.04.1959	03.04.2021	30.04.2021
3	श्रीमती रंजना श्रीवास्तव	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर	30.06.1959	29.06.2021	30.06.2021

4	श्रीमती बसंती व्यास	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर	30.06.1959	29.06.2021	30.06.2021
5	श्रीमती उषा नेमा	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर	10.06.1959	09.06.2021	30.06.2021
6	श्रीमती शशि निगम	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर	01.07.1959	30.06.2021	30.06.2021
7	श्री अशोक राव कांटे	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ खालियर	01.07.1959	30.06.2021	30.06.2021
8	श्रीमती मंजूलता सोधिया	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर	12.08.1959	11.08.2021	31.08.2021
9	श्री देवीलाल पालीवाल	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर	06.09.1959	05.09.2021	30.09.2021
10	श्री नरेश कुमार खरे	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर	14.09.1959	13.09.2021	30.09.2021
11	श्री केवार सिंह	सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर	24.09.1959	23.09.2021	30.09.2021

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

क्र	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	श्रीमती तुलसा बाई	कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-खालियर	24.02.1959	23.02.2021	28.02.2021
2	श्री किशन पिल्ले	अशार, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर	04.03.1959	03.03.2021	31.03.2021
3	श्री टंटूलाल केवट	अशार, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर	12.03.1959	11.03.2021	31.03.2021
4	श्री रणसिंह	कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-इंदौर	24.03.1959	23.03.2021	31.03.2021

5	श्री कल्लू प्रसाद	कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	13.04.1959	12.04.2021	30.04.2021
6	श्री जसवंत सिंह	अशर, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-ग्वालियर	30.04.1959	29.04.2021	30.04.2021
7	श्री हरी प्रसाद	कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	04.05.1959	03.05.2021	31.05.2021
8	श्री दौलतराम गौड़	अशर, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-इंदौर	05.05.1959	04.05.2021	31.05.2021
9	श्री विजय बाघ	रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-इंदौर	10.06.1959	09.06.2021	30.06.2021
10	श्री सुखदेव प्रसाद कुशवाहा	फरशा, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	30.06.1959	29.06.2021	30.06.2021
11	श्री भीम बहादुर	कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	10.08.1959	09.08.2021	31.08.2021
12	श्री अम्बिका प्रसाद यादव	अशर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	13.08.1959	12.08.2021	31.08.2021
13	श्री रामस्वरूप	कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-ग्वालियर	16.09.1959	15.09.2021	30.09.2021
14	श्री भेरुलाल पुरोहित	अशर, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-इंदौर	07.10.1959	06.10.2021	31.10.2021
लं		नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
15	श्री धनीराम पटेल	रिकॉर्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	01.01.1960	31.12.2021	31.12.2021
16	श्री मक्सूदन वर्मा	दफ्तरी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर	01.01.1960	31.12.2021	31.12.2021

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. बी-3336-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, तत्कालीन जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इन्दौर वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मोपाल के आदेश क्रमांक 3—(ए) 19—03—इक्कीस—ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यूएस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2020

क्र. बी-3156-दो-2-53-2014.—श्री के.पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 17 से 21 अगस्त 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अगस्त 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 अगस्त 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के.पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2020

क्र. बी-3391-दो-2-32-2014.—श्री आर.के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मोपाल के आदेश क्रमांक 3—(ए) 19—03—इक्कीस—ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के तथा दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यूएस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2020

क्र. सी-2258-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 24 से 26 अगस्त 2020 तक दोनों दिन समिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-2260-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री कोठे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	अर्जित अवकाश	=	212
	अर्धवेतन अवकाश	=	088
योग . .			300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 212 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii)

अर्धवेतनिक अवकाश	सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
के एवज में नगद	अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता
	= ----- X 88
भुगतान	30

क्र. सी-2270-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री ऋष्टुराज बसंत कुमार, सेवानिवृत्ति प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री ऋष्टुराज बसंत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	अर्जित अवकाश	=	225
	अर्धवेतन अवकाश	=	75
योग . .			300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii)

अर्धवेतनिक अवकाश	सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
के एवज में नगद	अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता
	= ----- X 75
भुगतान	30

क्र. सी-2272—दो-2-25-2020.— श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 07 से 16 सितम्बर 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 सितम्बर 2020 के तथा पश्चात् में 17 सितम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. सी-2274—दो-2-50-2018.— डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 09 से 11 सितम्बर 2020 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. सी-2276—दो-2-28-2019.— श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 10 से 14 अगस्त 2020 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अगस्त 2020 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 अगस्त 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
किशोर पिठवे, रजिस्ट्रार-कम-पी. पी. एस.

कार्यालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्र. 13-2020.— श्री राजेश गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 19 से 21 अगस्त 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश पश्चात् वर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 22 अगस्त 2020, 23 अगस्त 2020 का लाभ उठाने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलते थे।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, उक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन के पद पर कार्यरत रहते।

राजेश गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश।